

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 से 2

विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) जगदलपुर एवं राजनांदगांव हेतु प्रतिस्थापन मद में 01-01 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 3

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान हेतु ₹ 118.70 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 1,18,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने हेतु ₹ 1400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित शालाओं के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के वेतन के अंतर की राशि हेतु ₹ 420.31 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

मॉडल स्कूलों का पी.पी.पी.मोड पर संचालन हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत 3 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन हेतु ₹ 44.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । संस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	जिला	वि.खं.	विद्यालय का नाम
1	बिलासपुर	तखतपुर	शा.पू.मा.शा.कुरेली (शिक्षा)
2	बिलासपुर	तखतपुर	शा.पू.मा.शा. बारही(एस.एस.ए)
3	बिलासपुर	बिल्हा	शा.पू.मा.शा. मटियारी

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में निवासरत छात्रों के खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 248.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

अनुसूचित जाति प्राविण्य उन्नयन योजना हेतु ₹ 15.42 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 15,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

02 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ करने के लिए 03 प्राध्यापक (वेतनमान 37400-67000+ग्रेड वेतन 9000) के पद सृजन हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 12

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर के किराया महसूल कर हेतु ₹ 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 से 14

राज्य बीमारी सहायता निधि (संजीवनी) हेतु ₹ 180.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 15 से 16

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हेतु ₹ 6000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 17

विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 266.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,66,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 18

विश्व बैंक सहायित इस्निप परियोजना के पुनर्गठन के फलस्वरूप व्यावसायिक सेवाओं हेतु ₹ 2.50 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 19

महतारी जतन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती माताओं को गर्म भोजन प्रदाय किये जाने आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु ₹ 169.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध के सुरक्षित परिवहन एवं भण्डारण हेतु इंसुलेटेड क्रेट तथा परियोजना कार्यालय में स्टॉकबेल क्रेट प्रदाय किये जाने हेतु ₹ 118.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

वर्ष 2015-16 में चयनित मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों को सामग्री प्रदाय करने संबंधी व्ययगत राशि की पूर्ति हेतु ₹ 27.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 22

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹ 720.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 प्रतीक अग्रिम लिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 23

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपयोजना मौसम आधारित फसल बीमा के क्रियान्वयन हेतु ₹ 106.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24 से 25

केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ₹ 138.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 26

योजनांतर्गत पूर्व वर्षों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों पर देय ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु ₹ 292.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 27

अंशपूजी सहायता अनुदान हेतु ₹ 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 28

मॉडल स्कूलों का पी.पी.पी.मोड पर संचालन के लिए ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 29 से 31

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय बिलासपुर के ट्रामा सेंटर के लिए चिकित्सकीय मशीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 420.00 लाख एवं भवन निर्माण हेतु ₹ 105.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 525.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 32

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 563.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,63,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 33

सोलर पंप की स्थापना हेतु ₹ 1486.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 34 (4149)

निम्नलिखित वृहद अपरीक्षित पुलों के निर्माण को अनुपूरक अनुदान में शामिल किया गया है :-

- (1) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के मरदा से तिल्दा पहुंच मार्ग में पुल निर्माण कार्य (लागत ₹ 250.00 लाख) पर इस वर्ष यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (2) जिला बलौदाबाजार भाटापारा के सरकीपार से साराडीह मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य (लागत ₹ 200.00 लाख) पर इस वर्ष यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

- (3) जिला बलौदाबाजार भाटापारा के सीरसाही एवं भरसेला के मध्य पुल निर्माण कार्य (लागत ₹ 200.00 लाख) पर इस वर्ष यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (4) जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अछोली खपरी मार्ग के खोरसी नाला में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (लागत ₹ 400.00 लाख) पर इस वर्ष यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 35 (7733)

एन्यूटि के अंतर्गत निम्नलिखित अपरीक्षित सड़कों को अनुपूरक अनुदान में शामिल किया गया है :-

- (1) शिवरीनारायण-सारंगगढ़-बरमकेला-सोहेला मार्ग लंबाई 32.20 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 15391.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (2) नांदघाट-मुंगेली मार्ग लंबाई 40.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 25659.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (3) सिंघोरा-बिरकोल-बोडेसरा मार्ग लंबाई 40.10 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 21854.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (4) जैजैपुर-मालखदौदा मार्ग लंबाई 17.80 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 8369.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (5) जांजगीर-पामगढ़ मार्ग लंबाई 21.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 19404.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (6) डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग लंबाई 17.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 8075.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (7) ढारा-टेलकाडीह मार्ग लंबाई 17.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 9281.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (8) जी.ई. रोड़ से इन्दामारा-सुकुल दैहान-टेलकाडीह मार्ग लंबाई 19.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 9980.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
- (9) पामगढ़-भिलौनी-ससहा-सोनसरी-जौधरा-लाहौद मार्ग लंबाई 40.00 किमी के निर्माण कार्य (लागत ₹ 12856.00 लाख) पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।